


फर्द अहकाम

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी
 अज अवलत बडीसादडी (बडीसादडी)
 मुकाम
 रामसिंह बनाम मोहन सिंह
 किस्म मुकदमा सं. 25/18 सन
 (128)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मध्य इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की न में जारी
16-4-18	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... १ ग्राम..... आ.न. 139, 141, 80, 81, 82, 86, 83, 84, 85 0.14, 0.04 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 1200/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	 <p>उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official</p>

उपखण्ड अधिकारी
 बडीसादडी